



राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक: प.2(सब)(3413)/आकृ/गुप-9

दिनांक

कार्यालय आदेश

सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)बून्दी के पत्र क्रमांक 1877 दिनांक 28.8.2019 के द्वारा श्री कजोड मल बलाई सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)बून्दी के न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से अवगत कराने के दृष्टिगत आयुक्तालय के आदेश क्रमांक प.2(सब)(जी-39)/आकृ/गुप-9/935-42 दिनांक 22/5/2019 से श्री बलाई के सेवानिवृत्त आदेश के साथ जारी किये गये जाँच बकाया नही के प्रमाणित करने को निरस्त माना जावे ।

उक्त आदेश आयुक्त,कृषि महोदय से अनुमोदित है।

(सीताराम जाट)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

क्रमांक:-प.2(सब)/3534/नि.कृ./गुप-9/ 1852-59

दिनांक:- 28/8/19

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर ।
2. संयुक्त निदेशक कृषि (वि) कोटा ।
3. उप/सहायक निदेशक कृषि (वि) बून्दी ।
4. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय जयपुर को विभागीय बैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
5. श्री कजोडमल बलाई, सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि) बून्दी ।
6. प्रभारी पेंशन शाखा मु0जयपु।

(डा.सुपेन्द्रपाल सिंह सन्धा)
उप निदेशक कृषि (प्रशासन)

पंत कृषि भवन,जनपथ,जयपुर-302005,दूरभाष-0141-2227342. Email: jdagr_admn@rediffmail.com